S.T.D. 0581
2527263, 2527286
2527282, 2527273

महात्मा ज्योतिबा फुले
रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

बरेली–243 006 (भारत)
BAREILLY-243 006 (INDIA)

पत्रांकः रु.वि./शोध/2018/16-18 दिनांकः 15.01.2018

अधिसूचना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पी.एच–डी. उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम 2016 के आलोक में विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित शोध अध्यादेश 2017 के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी, पदेन सचिव के पत्र संख्या ई–11545/11695/15–जी0एस0/2017–VIII दिनांक 05.01.2018 द्वारा अवगत कराया गया है कि माननीय कुलाधिपति द्वारा शोध अध्यादेश 2017 को अनुमोदित कर दिया गया है।

(अशोक कुमार अरविन्द)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निजी सचिव कुलपति को कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।

2. श्री रविन्द्र गौतम, प्रोग्रामर को इस आशय से प्रेषित कि वे संलग्न अध्यादेश को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।

कुलसचिव

महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पीएच.डी.) अध्यादेश – 2017

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियमन/अधिसूचना दिनांक 05 मई, 2016 एवं भारत के राजपत्र संख्या 278 दिनांक 05 जुलाई, 2016 में अधिसूचना के अनुरूप संशोधित)

महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पीएच.डी.) अध्यादेश–2017

1. परिचय

1.1 उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (राष्ट्रपति के 1973 के अधिनियम संख्या 10) एवं उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमित एवं संशोधित) अधिनियम, 1974 (1974 का उ0प्र0 अधिनियम संख्या 29) के आधार पर पुनः अधिनियमित एवं संशोधित, के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं उक्त के सन्दर्भ में पूर्व अध्यादेश (डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पीएच.डी.) अध्यादेश 2013) के प्रतिस्थापन में एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) नियमन 2016 के अनुरूप, विश्वविद्यालय पूर्व में स्थापित अध्यादेश को यथासंशोधित करता है।

1.2 उक्त अध्यादेश डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पीएच.डी.) उपाधि अध्यादेश–2017 के रूप में जाना जाएगा।

1.3 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) नियमन – 2016 के अनुरूप एवं पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया निर्धारण के उददेश्य से विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों में पीएच.डी. में प्रवेश हेतु 2013 के अध्यादेश के पश्चात, निम्न अध्यादेश को संशोधित किया जाता है। उक्त सन्दर्भ में पूर्व से स्थापित समस्त अध्यादेशों को प्रतिस्थापित करते हुए, यह अध्यादेश वर्ष 2017 एवं आगे से प्रभावी होगा। ये सत्र 2017–18 से लागू होंगे।

1.4 जो अभ्यर्थी इस अध्यादेश के प्रभावी होने के पहले, पूर्व में स्थापित अध्यादेशों के अंतर्गत प्रवेश ले चुके हैं, ऐसे अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान करने के नियम उन पूर्ववर्ती अध्यादेशों के द्वारा निर्देशित होंगे जिनके अंतर्गत उन्हें प्रवेश दिया गया है।

1.5 महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, ऐसे समस्त संकायों में पीएच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश पर विचार करेगा जिनकी स्थापना महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय के परिनियम के अनुसार की गयी है। इसे धारा 2.6 के साथ संयोजन में प्रभावी समझें।

1.6 पीएच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश की प्रक्रिया विश्वविद्यालय की अधिसूचना द्वारा वर्ष में एक बार आयोजित की जायेगी।

2 पीएच.डी. स्थानों की गणना

2.1 किसी भी समय पीएच.डी. स्थानों की कुल संख्या (डी.एससी., डी.लिट. एवं एलएल.डी. को सम्मिलित करते हुए) क्रमशः आचार्य के लिए 08, सह आचार्य के लिए 06 एवं सहायक आचार्य के लिए 04 से अधिक नहीं होगी।

2.2 धारा 2.1 में वर्णित मानकों के आधार पर एवं विभाग के समस्त पर्यवेक्षकों के अधीन पूर्व से पंजीकृत शोध छात्रों को सम्मिलित करते हुए नए पीएच.डी. छात्रों के लिए पूर्व निर्धारित एवं प्रबंधनीय संभावित उपलब्ध रिक्तियों की गणना प्रत्येक वर्ष की जाएगी एवं विभागाध्यक्ष द्वारा उक्त सूचना अर्ह शिक्षकों से परामर्श के पश्चात् सम्बंधित संकायाध्यक्ष / निदेशक के माध्यम से एवं इन रिक्तियों हेतु विस्तृत क्षेत्र / विशेषज्ञता को सम्मिलित करते हुए कुलसचिव को प्रेषित की जाएगी।

2.3 विषयवार पीएच.डी. स्थानों की कुल संख्या का निर्णय जहाँ तक संभव होगा अग्रिम रूप से किया जायेगा एवं उक्त को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अधिसूचित किया जायेगा। विश्वविद्यालय पीएच.डी. उपाधि के लिए उपलब्ध स्थानों का विस्तृत विज्ञापन करेगा एवं नियमित रूप से प्रवेश प्रक्रिया संपन्न कराएगा। राज्य सरकार के आरक्षण से सम्बंधित नीतियों यथा ऊर्ध्व एवं क्षैतिज आरक्षण को समाहित करते हुए उक्त रिक्त स्थानों को सामान्य एवं आरक्षित (अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) वर्ग में वर्गीकृत किया जायेगा तथा वर्गीकरण प्रत्येक पर्यवेक्षक के स्तर पर कुल स्थानों के सापेक्ष होगा।

2.4 बहु--विभाग एवं धारा 44 के अंतर्गत स्थापित अन्तः विषयी संस्थानों में पीएच.डी. उपाधि हेतु प्रवेश, मूल्यांकन एवं उपाधि प्रदान करने सम्बन्धी प्रक्रिया नियमित विभागों के लिए निर्दिष्ट प्रक्रिया के समान होगी।

2.5 बहुविभागीय एवं अन्तः विषयी संस्थानों में अतिरिक्त पीएच.डी. स्थान तब तक अनुमन्य नहीं होंगे जब तक उक्त संस्थानों में नियमित शिक्षक नियुक्त न किये गए हों। उक्त संस्थानों से अन्य रूप से सम्बद्ध शिक्षकों के लिए पीएच.डी छात्रों की संख्या सम्बंधित शिक्षक के मूल विभाग में अनुमन्य छात्रों की संख्या में समायोजित की जाएगी जो कि क्रमशः आचार्य के लिए 03, सह आचार्य के लिए 02 एवं सहायक आचार्य के लिए 01 से अधिक नहीं होगी।

2.6 पीएच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश उन्ही विषयों में अनुमन्य होगा जिनमें विश्वविद्यालय परिसर / अनुदानित महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहें हैं। सम्बद्ध विषयों के सम्बन्ध में उचित निर्णय साक्षात्कार मंडल / शोध उपाधि समिति द्वारा लिया जायेगा, जो अभ्यर्थी के लिए बाध्यकारी होगा। शोध उपाधि समिति का निर्णय, अर्हता परीक्षा का विषय जिसे अभ्यर्थी ने उत्तीर्ण कर संदर्भित विषय में साक्षात्कार हेतु अर्हता प्राप्त की है, पर आधारित होगा। अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय की शोध प्रवेश परीक्षा (अथवा नेट / यू.पी.स्लेट इत्यादि) में उसी विषय में सम्मिलित होना होगा जिसमें अभ्यर्थी पीएच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश चाहता है एवं पीएच.डी. उपाधि उसी विषय में निर्गत की जाएगी जिस विषय में अभ्यर्थी ने प्रवेश लिया है।

3. पीएच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु इक्छुक अभ्यर्थियों के लिए पात्रता मानदंड एवं पाठ्यक्रम की अवधि

3.1 पीएच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु इक्छुक ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास स्नातकोत्तर उपाधि अथवा एक व्यावसायिक उपाधि होगी जिसे समकक्ष सांविधिक निकाय द्वारा स्नातकोत्तर उपाधि के समतुल्य घोषित किया गया हो एवं जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 55% अंक अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 7 बिंदु मानक पर 'B' ग्रेड प्राप्त हुई हो (अथवा जहाँ कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई जाती है वहां बिंदु मानक पर समकक्ष ग्रेड) अथवा ऐसे प्रत्यायित विदेशी शैक्षिक संस्थान से समकक्ष उपाधि प्राप्त की हो, जो कि किसी आकलन एवं प्रत्यायन एजेंसी द्वारा प्रत्यायित हैं एवं शैक्षिक संस्थानों की गुणवत्ता एवं मानकों को सुनिश्चित करने एवं उनके आकलन, प्रत्यायन हेतु ऐसे किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा अथवा ऐसे एक प्राधिकरण के अंतर्गत स्वीकृत एवं प्रत्यायित है एवं विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित है।

3.2 ऐसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, विकलांग वर्ग से सम्बंधित हैं अथवा समय–समय पर राज्य सरकार / विश्वविद्यालय द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए अथवा 19 सितम्बर 1991 से पूर्व स्नातकोत्तर उपाधि अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों के लिए 55% से 50% अंकों तक अर्थात 5% की छूट अथवा ग्रेड में समतुल्य छूट प्रदान की जा सकती है। 55% अर्हता अंक (अथवा जहाँ कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई जाती है वहां बिंदु मानक पर समकक्ष ग्रेड) तथा उपर्युक्त श्रेणियों में 5% अंको की छूट केवल अर्हता अंकों के आधार पर अनुमन्य है जिसमे रियायती अंक (ग्रेस मार्क) शामिल नहीं हैं। आगे यह भी कि वे छात्र जो स्नातकोत्तर उपाधि के अंतिम वर्ष, अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा दे चुकें हैं /दे रहे हैं, ऐसे समस्त छात्र प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित होने हेतु अर्ह होंगे यदि वे अंतिम परिणाम में न्यूनतम अर्हता के मानकों की पूर्ति करने में सक्षम होते हैं।

3.3 सामान्यतया एक अभ्यर्थी को उसी विषय में पीएच.डी. उपाधि हेतु शोध करने की अनुमति होगी जिसमें उसने स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है। सम्बद्ध / अन्तः विषयी स्नातकोत्तर उपाधि धारण करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अर्हता धारा 2.6 के आधार पर निर्धारित होगी।

3.4 आयुर्वेद संकाय में एम.डी. (आयुर्वेद) की उपाधि अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय की समकक्ष उपाधि जो इस विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त हो, को प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी आयुर्वेद में पीएच.डी. हेतु अर्ह होंगे।

3.5 पाठ्यक्रम कार्य (कोर्स वर्क) को सम्मिलित करते हुए पीएच.डी. उपाधि की न्यूनतम अवधि 03 वर्ष (36 माह) एवं अधिकतम अवधि 06 वर्ष होगी।

4. प्रवेश हेतु प्रक्रिया

4.1 विभिन्न विभागों/संस्थानों में पीएच.डी. उपाधि में प्रवेश हेतु प्रक्रिया पूर्ण रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियमन 2016 के द्वारा निर्धारित होगी। अभ्यर्थियों के दो वर्ग होंगे (i) ऐसे अभ्यर्थी जो शोध प्रवेश परीक्षा के द्वारा सम्मिलित किये जाते हैं एवं (ii) ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें शोध प्रवेश परीक्षा से छूट प्राप्त हैं, उक्त समस्त अभ्यर्थियों को एक साथ संकलित कर साक्षात्कार की प्रक्रिया सम्पन्न होगी। धारा 4.3.2 में अधिसूचित नियम के आधार पर दोनों वर्गों

के अभ्यर्थियों का पीएच.डी. उपाधि हेतु अंतिम चयन साक्षात्कार में प्रदर्शन पर आधारित होगा एवं साक्षात्कार मंडल का निर्णय अंतिम होगा।

4.2 विश्वविद्यालय परिसर अथवा इससे सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थानों में दूरस्थ शिक्षा अभियान के अंतर्गत पीएच.डी. उपाधि अनुमन्य नहीं होगी।

4.3 वर्ग I : शोध प्रवेश परीक्षा (RET) के द्वारा प्रवेश

4.3.1.1 स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु अर्ह होने के लिए लिखित परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है। लिखित परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर जो कि योग्यता निर्धारण परीक्षा (क्वालीफाइंग एग्जामिनेशन) है, चुने गए अभ्यर्थी साक्षात्कार में सम्मिलित होंगे। इस वर्ग के अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित शोध प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होना होगा।

4.3.1.2 प्रवेश परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम की सूचना विश्वविद्यालय / विभाग के वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

4.3.1.3 विज्ञापित समस्त रिक्तियों के सापेक्ष छात्र को चयनित न करने का अधिकार शोध उपाधि समिति के अधीन सुरक्षित रहेगा।

4.3.1.4 शोध उपाधि समिति यह सुनिश्चित करेगी कि प्रवेश प्रक्रिया में विश्वविद्यालय के समस्त नियमों का पालन हो।

4.3.2 प्रवेश परीक्षा में योग्य पाए गए अभ्यर्थियों को विभाग/संस्थान द्वारा संचालित एवं विभागाध्यक्ष जो कि अध्यक्ष होगा के परामर्श से कुलपति द्वारा अनुमोदित साक्षात्कार मंडल के समक्ष साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना होगा।

साक्षात्कार मंडल का गठन निम्नवत होगा :

(i) विश्वविद्यालय परिसर में संचालित विषयों हेतु विभागाध्यक्ष एवं उन विषयों हेतु जो केवल सम्बद्ध महाविद्यालयों में संचालित होते हैं, विषय पाठ्य समिति के संयोजक।

(ii) विभाग के दो आचार्य वरिष्ठता के आधार पर एवं चक्रानुक्रम में।

(iii) विभाग के दो शिक्षक (एक सह आचार्य एवं एक सहायक आचार्य, वरिष्ठता के आधार पर एवं प्रत्येक वर्ष चक्रानुक्रम में)। ऐसे विषय जो विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में समान रूप में संचालित हो रहे हैं, के लिए दो–दो शिक्षक विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों से सम्मिलित किये जायेंगे। उक्त से एक सदस्य सह आचार्य के स्तर पर एवं एक शिक्षक सहायक आचार्य के स्तर, वरिष्ठता के आधार पर एवं चक्रानुक्रम में प्रत्ति वर्ष एवं प्रत्येक विषय में सम्मिलित किया जायेगा।

(iv) कुलपति द्वारा अनुमोदित एक बाह्य विशेषज्ञ।

(v) एक–एक प्रतिनिधि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग से (उक्त स्थिति में जब साक्षात्कार मंडल में क्रमशः इन वर्गों से पूर्व से कोई सदस्य न हो)। उक्त अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग से सम्मिलित प्रतिनिधि का दायित्व एक पर्यवेक्षक के

रूप में होगा (एवं उक्त प्रतिनिधि साक्षात्कार मंडल में अभ्यर्थी को कोई अंक प्रदान नहीं करेंगे) तथा वे अपनी–अपनी आख्या कुलपति को सौपेंगे।

4.3.2.1 साक्षात्कार की प्रकिया अभ्यर्थी का तीन आधारों (चरणों) पर मूल्यांकन एवं उक्त तीनों आधारों को समान भार देते हुये की जाएगी:

(i) अभ्यर्थी द्वारा साक्षात्कार मंडल को जमा अपनी रूचि के शोध क्षेत्र में एक शोध प्रस्ताव (400–600 शब्दों का) पर।

(ii) अभ्यर्थी द्वारा उक्त शोध प्रस्ताव से सम्बन्धित प्रस्तुतीकरण (पॉवर प्वाइन्ट) पर।

(iii) एक व्यक्तिगत साक्षात्कार।

साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा में निम्न तथ्यों को भी संज्ञान में लिया जायेगा जैसे कि क्या

(अ) प्रस्तावित शोध हेतु अभ्यर्थी में योग्यता है।

(ब) उक्त शोध कार्य विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में सुगमतापूर्वक कराया जा सकता है।

(स) प्रस्तावित शोध क्षेत्र नये/अतिरिक्त ज्ञान के दृष्टिगत अपनी सहभागिता देगा।

4.3.3 शोध प्रवेश परीक्षा (आर.ई.टी.) का पाठ्यक्रम वही होगा जो यू.जी.सी./सी.एस.आई.आर. की नेट परीक्षा हेतु घोषित है। यद्यपि उन विषयों में जिसमें नेट की परीक्षा संचालित नहीं होती है उदाहरण के रूप में (i) फार्मेसी, जिसमें GPAT का पाठ्यक्रम प्रभावी होगा। (ii) सांख्यिकी एवं अन्य समान विषयों में पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा घोषित किया जायेगा। पीएच.डी. में प्रवेश के लिये विभिन्न वर्गों के प्रार्थना पत्र का शुल्क समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित होगा।

4.3.4 शोध प्रवेश परीक्षा (आर.ई.टी.) में दो प्रश्न पत्र होंगे। उक्त प्रश्न पत्र अभ्यर्थी के समग्र ज्ञान एवं शोध योग्यता (शोध किया विधि) का आंकलन करने के उद्देश्य से वस्तुनिष्ठ बहु विकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र अभ्यर्थी की विषय विशेषज्ञता का आंकलन करने हेतु होगा। शोध प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम अर्हता अंक समग्र रूप से 50% एवं पृथक–पृथक प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% होगा।

4.3.5 सभी वर्गों में प्रवेश पर विचार किये जाने हेतु, शोध प्रवेश परीक्षा में भाग ले रहे अभ्यर्थियों के लिये यह आवश्यक होगा कि उन्होंने सम्बन्धित विषय की स्नातकोत्तर उपाधि के अन्तिम वर्ष की परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया हो/भाग ले रहे हो/भाग ले चुके हों, ऐसे छात्र जो स्नातकोत्तर उपाधि के अन्तिम वर्ष/अन्तिम सेमेस्टर की परीक्षा दे चुके हैं/दे रहे हैं, ऐसे समस्त छात्र प्रवेश की प्रकिया में भाग लेने हेतु अर्ह होंगे यदि वे उक्त परीक्षा के अन्तिम परिणाम में न्यूनतम अर्हता के मानकों की पूर्ति करते हों। विषयवार पीएच.डी. की उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उपर्युक्त संख्या के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमन्त्रित किया जायेगा यदि ऐसे समस्त अभ्यर्थी शोध प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने के मानक को पूर्ण करते हो (खण्ड 4.3.4)। उक्त अर्हता केवल साक्षात्कार में भाग लेने हेतु स्तर के निर्धारण से है न कि प्रवेश की गारंटी।

4.4 **वर्ग II : शोध प्रवेश परीक्षा (RET) से छूट**

निम्न श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा में भाग लेने से छूट होगी परन्तु इन अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में उपस्थित होना होगा:

4.4.1 ऐसे अभ्यर्थियों, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा जैसे कि सी.एस.आई.आर./यू.जी.सी. नेट (जे.आर.एफ. को सम्मिलित करते हुये)/या समकक्ष राष्ट्रीय परीक्षा, यू.पी. स्लेट (उ0प्र0 राज्य प्रवक्ता अर्हता परीक्षा) उत्तीर्ण की हो, बिना शोध प्रवेश परीक्षा में भाग लिये सीधे साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने GATE / GPAT में 90% से कम अंक प्राप्त न किये हों वे भी सीधे साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं।

4.4.2 महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभागों एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध राजकीय/अनुदानित महाविद्यालयों में स्वीकृत पदों के सापेक्ष नियुक्त ऐसे स्थायी सहायक आचार्य, सह आचार्य एवं आचार्य जिन्होंने अपना परिवीक्षा काल सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो एवं स्थायी रूप से दो वर्षों की अविच्छिन्न सेवा का अनुभव रखतें हो उन पर भी इसी श्रेणी में विचार किया जायेगा। स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों के शिक्षकों को शोध प्रवेश परीक्षा से छूट अनुमन्य नहीं होगी।

4.4.3 कर्नल अथवा समकक्ष स्तर के थल, जल एवं वायुसेना में सेवारत ऐसे अभ्यर्थी, जिनका सेवाकाल 15 वर्षों से कम नहीं हो एवं उन्होंने रक्षा एवं सामरिक अध्ययन (स्ट्रेटिजिक स्टडीज) में पीएच.डी. हेतु आवेदन किया हो, इनको भी प्रवेश परीक्षा से छूट अनुमन्य होगी।

5. साक्षात्कार मंडल, साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर दोनों वर्गों के संकलित अभ्यर्थियों को (इस अध्यादेश के खण्ड 4.3.2.1 के अनुसार चरण i, ii एवं iii के आधार पर) एक अस्थायी योग्यता सूची निर्मित करेगा। अभ्यर्थियों की उक्त अस्थायी योग्यता सूची ऊपर वर्णित प्रदर्शन पर आधारित होगी। अन्तिम परिणाम घोषित करने के पूर्व पर्यवेक्षक एवं छात्र के शोध क्षेत्र को दृष्टिगत रखते हुये एक पूर्व प्रवेश परामर्श (Counselling) सम्पन्न कराया जायेगा। बाह्य सदस्य को छोड़कर खण्ड 4.3.2 पर वर्णित समिति द्वारा ही उक्त काउंसिलिंग की प्रक्रिया सम्पन्न करायी जायेगी। प्रवेश सम्बन्धी काउंसिलिंग में अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह पर्यवेक्षक का सहमति पत्र लेकर आये जिसके अधीन वह शोध कार्य सम्पन्न करने का इच्छुक है। उक्त के संदर्भ में अभ्यर्थी को एक शपथ पत्र देना होगा। शोध रूचि को दृष्टिगत रखते हुये पर्यवेक्षक के आवंटन के उचित सम्भव प्रयास किये जायेंगे।

अन्तिम चयन उन्हीं अभ्यर्थियों का होगा जो पर्यवेक्षक से सहमति पत्र लाते हैं। काउंसिलिंग सम्पन्न होने के पश्चात् अन्तिम चयन सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर एवं विभाग/संस्थान के सूचना–पट पर यथाशीघ्र प्रदर्शित कर दी जायेगी।

6. **अन्तिम चयन**

पीएच.डी. पाठ्यक्रम हेतु अभ्यर्थियों का अन्तिम चयन साक्षात्कार एवं प्रवेश काउन्सिलिंग में प्रदर्शन पर आधारित होगा (शोध प्रवेश परीक्षा द्वारा आये अभ्यर्थी अथवा शोध प्रवेश परीक्षा से अनुमन्य छूट प्राप्त अभ्यर्थियों के लिये)। खण्ड 4.3.2 एवं 5 के अनुरूप साक्षात्कार मंडल एवं तत्पश्चात प्रवेश काउन्सिलिंग में लिया गया निर्णय अन्तिम होगा। साक्षात्कार मंडल, खण्ड 4.4.1 के अन्तर्गत के अभ्यर्थियों को उचित देय भार प्रदान करेंगा।

7. पाठ्यक्रम कार्य (Course Work)

7.1 अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम कार्य में प्रवेश हेतु परीक्षा शुल्क को सम्मिलित करते हुये शुल्क जमा करना होगा जो कि सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु रू0 25000/– एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए रू0 12500/– निर्धारित है (अथवा विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर लिये गये निर्णय के अनुसार)। ऐसे समस्त अभ्यर्थी पीएच.डी. पाठ्यक्रम में अस्थायी रूप में प्रवेशित माने जायेंगे।

7.2 समस्त प्रवेशित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम एक सेमेस्टर की अवधि का पाठ्यक्रम कार्य पूर्ण करना होगा।

7.3 शोध उपाधि समिति (आर.डी.सी.) द्वारा अभ्यर्थियों के लिये पर्यवेक्षकों का निर्धारण सामान्यतयः साक्षात्कार मंडल की संस्तुति के अनुसार पाठ्यक्रम कार्य के शुरू होने के पूर्व ही किया जायेगा। एक बार प्रवेशित होने के पश्चात् पाठ्यक्रम कार्य सम्पादित करने के साथ अभ्यर्थी स्वयं के लिये निर्धारित पर्यवेक्षक के साथ अपने चयनित शोध क्षेत्र में निरन्तर क्रियात्मक रूप से विचार विमर्श करेगा। पाठ्यक्रम कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात् अभ्यर्थी अपना शोध रूपरेखा (Synopsis) पीएच.डी. कार्य हेतु शोध के शीर्षक के साथ सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/संस्थान के निदेशक के माध्यम से विश्वविद्यालय के शोध अनुभाग को प्रस्तुत करेगा।

7.4 पाठ्यक्रम कार्य को पीएच.डी. से पूर्व की तैयारी के रूप में माना जायेगा। पाठ्यक्रम कार्य के दो खण्ड होंगे। पहले खण्ड में दो लिखित प्रश्न पत्र समाहित होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम शोध क्रियाविधि पर आधारित होगा एवं उक्त में विस्तृत विषय क्षेत्र से सम्बन्धित मात्रात्मक विधियां, कम्प्यूटर अनुप्रयोगों एवं अन्य तकनीकियों/विधियों को समाहित किया जा सकता है। द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में अभ्यर्थी/पर्यवेक्षक/विभाग द्वारा चयनित शोध क्षेत्र से सम्बन्धित शोध शीर्षक सम्मिलित किये जायेगे। सामान्यतौर पर सम्बन्धित शोध क्षेत्र में रिक्तियों की सूचना कुलसचिव को प्रेषित करते समय ही विभाग/संस्थान की विषय पाठ्य समिति द्वारा उक्त के विषय में निर्णय ले लिया जाना समाचीन होगा।

7.5 पीएच.डी. पाठ्यक्रम कार्य 250 अंकों का होगा जो दो खण्डों खण्ड–अ एवं खण्ड–ब में विभक्त होगा।

7.6 पाठ्यक्रम कार्य को पीएच.डी. से पूर्व की तैयारी के रूप में माना जायेगा। पाठ्यक्रम कार्य अधोवर्णित आधार पर दो खण्डों में विभाजित होगा–

खण्ड–अ : इसके अर्न्तगत 100–100 अंकों के दो लिखित प्रश्न पत्र होंगे।

प्रश्न पत्र–1 : शोध विधि (जिसमें विस्तृत विषय क्षेत्र से सम्बन्धित मात्रात्मक विधियों, कम्प्यूटर अनुप्रयोगों, शोध–नैतिकता एवं अन्य तकनीकियों/विधियों का समावेश होगा)।

प्रश्न पत्र –2 : छात्र को पीएच.डी. उपाधि हेतु तैयार करने के उद्देश्य से विषय क्षेत्र से सम्बन्धित अग्रिम स्तरीय पाठ्यक्रम (Advance Level Course)।

खण्ड–ब : शोध साहित्य की समीक्षा –50 अंक (उक्त के अर्न्तगत अभ्यर्थी को सम्पूर्ण शोध साहित्य सर्वेक्षण करना होगा एवं अभ्यर्थी को स्वयं के/पर्यवेक्षक के चुने हुये शोध क्षेत्र में विगत

10 वर्षों के साहित्य–सर्वेक्षण को सम्मिलित करते हुये एक समीक्षा आख्या (Review) तैयार करनी होगी एवं उक्त को विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करते हुये एक प्रतिलिपि विभागाध्यक्ष को प्रेषित करनी होगी।

7.7 खण्ड–अ का प्रत्येक लिखित प्रश्न पत्र (प्रश्न पत्र–I एवं प्रश्न पत्र–II) 100 अंको का होगा। उक्त 100 अंकों में से 70 अंक विश्वविद्यालय द्वारा संचालित सेमेस्टर की अन्तिम लिखित परीक्षा के आधार पर प्रदान किया जाएगा एवं शेष 30 अंक पाठ्यक्रम कार्य के दौरान 15–15 अंकों के दो मध्य सेमेस्टर परीक्षा के आधार पर प्रदान किये जायेगे। पाठ्यक्रम कार्य को उत्तीर्ण करने के लिये अभ्यर्थी को प्रत्येक खण्ड एवं प्रत्येक प्रश्न पत्र [खण्ड–अ (प्रश्न पत्र–I एवं प्रश्न पत्र–II) एवं खण्ड–ब] में अलग–अलग न्यूनतम 55% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

7.8 पीएच.डी. पाठ्यक्रम कार्य हेतु निर्धारित समस्त पाठ्यक्रम अनुदेशात्मक आवश्यकता के अनुरूप होंगे एवं पाठ्यवस्तु, अनुदेशात्मक एवं मूल्यांकन विधियों का उल्लेख करेंगे। उक्त सभी अधिकृत विषय पाठ्य समितियों/संकाय परिषद् द्वारा विधिवत अनुमोदित होंगे।

7.9 पीएच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त सभी अभ्यर्थियों के लिये विभाग द्वारा निर्धारित पीएच.डी. पाठ्यक्रम कार्य को प्रथम वर्ष में सफलतापूर्वक पूर्ण करना आवश्यक होगा। फिर भी यदि कोई अभ्यर्थी धारा 7.7, 7.10 एवं 7.12 के अनुरूप पीएच.डी. पाठ्यक्रम कार्य को प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण करने में सफल नहीं होता है, तो उसे विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित आवश्यक शुल्क जमा करते हुये पुनः प्रवेश लेने के पश्चात् पाठ्यक्रम कार्य परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिये एक अतिरिक्त मौका (अन्तिम) अगले नियमित पाठ्यक्रम कार्य के शोध विद्यार्थियों के साथ प्रदान किया जायेगा।

7.10 अभ्यर्थी को पीएच.डी. शोध–प्रबन्ध पूर्ण करने हेतु इस कार्यक्रम में निरन्तरता हेतु अर्ह होने के लिये पीएच.डी. पाठ्यक्रम कार्य के प्रत्येक खण्ड एवं प्रत्येक प्रश्न पत्र में अलग–अलग 55% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। विश्वविद्यालय द्वारा अंकपत्र/ग्रेड कार्ड उपलब्ध कराया जायेगा।

7.11 यद्यपि इन समस्त स्थितियों में जहाँ अभ्यर्थी प्रथम प्रयास में पाठ्यक्रम कार्य को उत्तीर्ण करने में सफल नहीं होता है ऐसे अभ्यर्थियों को निरन्तरता में पाठ्यक्रम कार्य अवधि का न्यूनतम निवास अवधि/छात्रता का लाभ देय नहीं होगा। इन समस्त स्थितियों में सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम कार्य को पूर्ण करने के लिये निवास अवधि के संदर्भ में केवल एक सेमेस्टर (छः माह) की अवधि का लाभ देय होगा।

7.12 पाठ्यक्रम कार्य के लिये समय सारणी एवं पाठ्यवस्तु, शिक्षण एवं मूल्यांकन (परीक्षा) की कार्य योजना, सतत् मूल्यांकन, आन्तरिक मूल्यांकन इत्यादि निर्मित करने एवं किया की जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष/कुलपति द्वारा इस कार्य हेतु नियुक्त समन्वयक की होगी एवं वे उक्त कार्य सम्बन्धित संकायाध्यक्ष के समग्र निर्देशन में संचालित करेंगे।

7.13 पाठ्यक्रम कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण करना समस्त पीएच.डी. अभ्यर्थियों के लिये बाध्यकारी होगा जिसमें शिक्षक अभ्यर्थी भी सम्मिलित होंगे।

8. शोध की रूपरेखा का अनुमोदन तथा पीएच.डी. कार्यक्रम में पंजीकरण

8.1 ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपना पाठ्यक्रम कार्य सफलता पूर्वक पूरा कर लिया है वे अपने प्रस्तावित शोध कार्य की रूपरेखा जमा करेंगे और विभागीय/संस्थान की शोध उपाधि समिति (इसके उपरान्त आर.डी.सी. कहा जाएगा) के सम्मुख इसके अनुमोदन हेतु प्रस्तुतीकरण देंगे। प्रत्येक विभाग/संस्थान की आर.डी.सी. अलग–अलग होगी जिसकी संरचना इस प्रकार होगी:

(अ) कुलपति – अध्यक्ष।

(ब) संकायाध्यक्ष अथवा संस्थान के निदेशक।

(स) विश्वविद्यालय परिसर की दशा में विभागाध्यक्ष तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों की दशा में विषय पाठ्य समिति के संयोजक।

(द) (ब) तथा (स) के सदस्यों से परामर्श पर कुलपति द्वारा नामित दो सदस्य एक वर्ष के लिए।

सम्बन्धित अभ्यर्थी के पर्यवेक्षक को प्रस्तुतीकरण के समय उपस्थित रहने की अनुमति दी जा सकती है।

आर.डी.सी. के सदस्य के रूप में कुलपति किसी सम्मानित व्यक्ति को आमंत्रित कर सकते है।

8.2 यदि आर.डी.सी. को प्रतीत होता है कि रूपरेखा अपेक्षानुसार नहीं है तो रूपरेखा को सुधारने के लिए स्पष्ट सुझाव देगी। अभ्यर्थी आवश्यक सुधार करने के उपरान्त रूपरेखा को अनुमोदन हेतु पुनः जमा करेगा। संशोधित रूपरेखा को आर.डी.सी. की बैठक की तिथि के एक माह के अन्दर जमा करना होगा। यदि आर.डी.सी. अगली बैठक में इन बिन्दुओं पर सहमत है तो अभ्यर्थी के पीएच.डी. कार्यक्रम में पंजीकरण हेतु प्रार्थनापत्र को संकाय को संस्तुत एवं अग्रसारित करेगी।

8.3 संकायाध्यक्ष ऐसी समस्त संस्तुतियों को संकाय परिषद् में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेंगे।

8.4 विभिन्न संकायों के परिषद् द्वारा अनुमोदित समस्त प्रस्तावों को कुलसचिव को अग्रसारित किया जाएगा जो विश्वविद्यालय के पीएच.डी. विद्यार्थी के रूप में अंतिम अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा। अभ्यर्थी को पीएच.डी. कार्य हेतु आवश्यक शुल्क जमा करना होगा (सेमेस्टर अथवा वार्षिक या विश्वविद्यालय जैसा निर्धारित करे)।

9. पर्यवेक्षक की पात्रता मानदंड तथा सम्बन्धित विनियमन

9.1 प्रति पर्यवेक्षक शोध छात्रों की संख्या सामान्यतया धारा 2.1 में वर्णित संख्या से अधिक नहीं होगी।

9.2 विश्वविद्यालय का कोई नियमित आचार्य जिसके संदर्भित शोध पत्रिका में न्यूनतम पांच प्रकाशित शोध पत्र हो तथा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के कोई भी नियमित सह आचार्य/सहायक आचार्य जिनके संदर्भित शोध पत्रिका में कम से कम दो प्रकाशित शोध पत्र हों, को शोध पर्यवेक्षक माना जा सकता है। ऐसे क्षेत्र/विषय जहां संदर्भित शोध पत्रिका नहीं है अथवा सीमित संख्या में उपलब्ध है, के संदर्भ में विश्वविद्यालय किसी व्यक्ति को शोध पर्यवेक्षक मानने की उपर्युक्त दशाओं में कारणों को लिखित रूप में बताते हुए शिथिलता कर सकती है।

9.3 एम.जे.पी. रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सरकारी अथवा सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के परास्नातक विभाग में कार्यरत स्थायी अध्यापक जिनका शोध कार्य 'पियर रिव्यूड जर्नल' में प्रकाशनों से प्रमाणित है और वे धारा 9.2 में वर्णित सभी शर्तों को पूरा करते है तो उनको पीएच.डी. पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है। विज्ञान के विषयों की दशा में पर्यवेक्षक को प्रस्तावित शोध कार्य को कराने के लिए प्रयोगशाला सम्बन्धी पर्याप्त सुविधाओं की उपलब्धता का प्रमाण देना होगा। प्रारम्भ में, एक दिये समय में ऐसे अध्यापकों को पर्यवेक्षण के लिए दो से अधिक छात्रों की अनुमति नही दी जायेगी। विद्यार्थियों का प्रवेश विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा। पीएच.डी. अध्यादेश 2017 के अन्य सभी प्रावधान वही रहेंगे।

9.4 महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय के अवकाश प्राप्त शिक्षक जो उपरोक्त शर्तों को पूरा करते हैं वे अपने पूर्व में पंजीकृत शोध छात्रों के, बाकी बचे शेष शोध समय के लिए पर्यवेक्षक बने रहेंगे। तथापि वे अवकाश प्राप्ति के बाद किसी नये पीएच.डी. अभ्यर्थी का नामांकन नहीं करेंगे। शिक्षक के अवकाश प्राप्ति के बाद, यदि शोध विद्यार्थी नियत समयावधि में अपना शोध–प्रबन्ध जमा नहीं कर पाता है तो पर्यवेक्षक का परिवर्तन सन्दर्भित प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा। आवश्यक शोध सुविधाएं केवल शोध विद्यार्थी को ही अनुमन्य होगी।

9.5 पर्यवेक्षक, विभागाध्यक्ष/संस्थान के निदेशक एवं संकायाध्यक्ष की संस्तुति के आधार पर कुलपति किसी विद्यार्थी को किसी एक ऐसे शोध केन्द्र, जो इस कार्य के लिए विश्वविद्यालय द्वारा मान्य प्रतिष्ठित केन्द्र है, में शोध कार्य करने की अनुमति दे सकते हैं और विद्यार्थी इस संस्था से सह–पर्यवेक्षक ले सकता है जो सहायक आचार्य या इसके समकक्ष वैज्ञानिक के पद से कम न हो तथा धारा 9.2 में वर्णित अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करता हो। शोध संस्था को भी विश्वविद्यालय के अध्यापक को पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता देनी चाहिए।

9.6 विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के केवल पूर्णकालिक एवं स्थायी शिक्षक ही पर्यवेक्षक की तरह कार्य कर सकते हैं। बाह्य पर्यवेक्षकों की अनुमति नहीं होगी। तथापि, आर.डी.सी. के अनुमोदन पर, अंतः विषयी क्षेत्रों में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के अन्य विभागों अथवा अन्य सम्बन्धित संस्थाओं से सह–पर्यवेक्षकों को अनुमति दी जा सकती है।

9.7 एक चयनित शोध विद्यार्थी के शोध पर्यवेक्षक का निर्णय प्रति शोध पर्यवेक्षक शोध विद्यार्थियों की संख्या, पर्यवेक्षकों के बीच उपलब्ध विशेषज्ञता तथा शोध विद्यार्थी द्वारा साक्षात्कार के समय इंगित शोध रूचि के आधार पर विभाग द्वारा किया जाएगा।

9.8 अंतः विषयी प्रकृति के शीर्षकों के सम्बन्ध में जहाँ सम्बन्धित विभाग को प्रतीत होता है कि विभाग की विशेषज्ञता को बाहर से पूरित किया जाना है तो विभाग एक पर्यवेक्षक, जो शोध पर्यवेक्षक कहलायेगा, अपने ही विभाग से नियुक्ति करेगा तथा विभाग के बाहर के विभाग/संकाय/ महाविद्यालय/संस्थान से उन उल्लिखित एवं सहमत शर्तों के अधीन सह–पर्यवेक्षक को नियुक्त करेगा जो सहमति वाले संस्थाओं/महाविद्यालयों के बीच बनी है।

9.9 एक पर्यवेक्षक को ऐसे शोध विद्यार्थी को पर्यवेक्षित करने की अनुमति नहीं होगी जो उनका रक्त–सम्बन्धी अथवा विवाह फलस्वरूप सम्बन्धी है। व्याख्याः इस अध्यादेश में 'सम्बन्धी' से तात्पर्य उन सम्बन्धों से है जो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 20 में वर्णित हैं।

6/12/17

9.10 साधारणतया पर्यवेक्षक परिवर्तित नहीं होगा, किन्तु विशेष परिस्थितियों में, जहां विभागाध्यक्ष/संस्थान के निदेशक संतुष्ट हैं कि शोध विद्यार्थी का शोध कार्य प्रभावित होगा, पर्यवेक्षक परिवर्तित करने की अनुमति होगी। ऐसे प्रकरण आर.डी.सी. के समक्ष रखे जायेंगे जो पर्यवेक्षक में परिवर्तन की संस्तुति संकायाध्यक्ष के माध्यम से कुलपति को करेगी जो पर्यवेक्षक को परिवर्तित करने की अनुमति दे सकते हैं। पर्यवेक्षक को बदलने का कारण निम्नलिखित में से कोई भी हो सकता है–

9.11.1 स्थानान्तरण, अवकाश प्राप्ति, दीर्घकालीन अवकाश अथवा अन्य किसी कारण से पर्यवेक्षक विद्यार्थी के मार्गदर्शन हेतु उपलब्ध नहीं हो सकता है।

9.11.2 यदि पर्यवेक्षक अभ्यर्थी को मार्गदर्शन देने का इच्छुक नहीं है अथवा मार्गदर्शन करने की स्थिति में नहीं है।

9.11.3 किन्हीं असाधारण परिस्थितियों जिनके कारण ऐसा परिवर्तन आवश्यक हो जाय।

9.12 आर.डी.सी. स्वेच्छा से यह भी निर्णय ले सकती है कि क्या शोध पर्यवेक्षक के परिवर्तन की परिस्थिति में विद्यार्थी को नये सिरे से पंजीकरण कराना होगा।

9.13 शोध अनुभव के साथ 15 वर्ष का स्नातक स्तर पर शिक्षण अनुभव रखने वाले शिक्षक पर्यवेक्षक नियुक्त होने हेतु अर्ह होंगे बशर्ते उनके न्यूनतम 06 शोध पत्र संदर्भित पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हों। ऐसे विषय जहॉ संदर्भित पत्रिका का अभाव है, आर.डी.सी. 10–15 प्रतिष्ठित पत्रिकाओं की सूची निर्गत करेगी जिसमें ऐसे शिक्षकों को न्यूनतम 06 शोध पत्र प्रकाशित करना आवश्यक होगा।

9.14 विशेषः

(i) अभिलेखागार के निदेशक, भारत सरकार पर्यवेक्षक नियुक्ति होने हेतु अर्ह हैं।

(ii) जीवित लेखकों पर शोध अनुमन्य नहीं होगा।

(iii) मनोवैज्ञानिक चिकित्सा शास्त्र (चिकित्सा संकाय में) एम.डी. की डिग्री धारण करने वाला अभ्यर्थी समाजशास्त्र में पीएच.डी. डिग्री के लिए आवेदन कर सकता है।

10. निवास की अवधि

10.1 पंजीकरण की तिथि से प्रत्येक विद्यार्थी पाठ्यक्रम कार्य तथा पूर्णकालिक शोध कार्य करेगा जिसकी अवधि 36 माह से कम नहीं होगी इसमें वह समयावधि भी शामिल होगी जो पाठ्यक्रम कार्य में लगा है। यदि विद्यार्थी रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय क्षेत्र से बाहर का निवासी है (अर्थात् वह शहर जहाँ छात्र पंजीकृत है, धारा 10.4 के साथ पढ़ा जाय) तो उसे 36 माह का अध्ययन अवकाश तथा अनापत्ति प्रमाण–पत्र अपने नियोक्ता से प्राप्त करना होगा जिससे विश्वविद्यालय की निवास अवधि की आवश्यकता पूरी हो सके। इस धारा में महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली के शिक्षकों अथवा सम्बद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों को छूट दी जाएगी, यदि उनके द्वारा विभाग या महाविद्यालय में किया जाने वाला कार्य उनके प्रस्तावित शोध कार्य से सम्बन्धित हो जैसा कि सम्बन्धित आर.डी.सी. तथा संकाय परिषद् द्वारा अनुमोदित हो। राष्ट्रीय हितों के सामरिक क्षेत्रों के शोध कार्यों को बढ़ावा देने के लिए, राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार के सैन्य तथा अन्तरिक्ष संस्थानों/संगठनों, जिनके साथ विश्वविद्यालय ने समझौता

ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, में कार्यरत वैज्ञानिकों/पेशेवरों को अपने संस्थान में कार्य करते हुए पीएच.डी. करने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते जब आर.डी.सी. यह संस्तुति करे कि जो कार्य मूल संस्थान में किया जा रहा है उसकी सम्बन्धित क्षेत्र के शोध में प्रासंगिकता है। ऐसे लोगों को निवास की अवधि की अनिवार्यता से छूट दी जा सकती है जिसे आर.डी.सी. प्रत्येक प्रकरण के आधार पर निर्णित करेगी तथा संकाय परिषद् से अनुमोदित होगी।

10.2 उपस्थिति आवश्यकताएँ : एक अभ्यर्थी जो पीएच.डी. कार्यक्रम के एक भाग के रूप में पाठ्यक्रम कार्य कर रहा है उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह प्रत्येक कोर्स में 100% उपस्थित रहेगा। किन्तु विभागाध्यक्ष/संस्थान के निदेशक तथा संकायाध्यक्ष के अनुमोदन पर विश्वविद्यालय नियमों के अनुसार स्वीकार योग्य कारणों के आधार पर कुलपति अधिकतम 25% तक उपस्थिति से छूट दे सकते हैं।

10.3 पीएच.डी. विद्यार्थियों की पाठ्यक्रम कार्य एवं पीएच.डी. अवधि दोनों की उपस्थिति पंजिका विभाग/संस्थान के कार्यालय में, विभागाध्यक्ष/संस्थान के निदेशक के अधीन संरक्षित रखते हुए उपस्थिति अंकित करायी जाएगी।

10.4 निवास की अवधि का तात्पर्य रूहेलखण्ड क्षेत्र में (अर्थात वह शहर जहॉ छात्र पंजीकृत है) पीएच.डी. शोध कार्य हेतु लगातार पूरे समय निवास से है। रूहेलखण्ड क्षेत्र से बाहर नौकरी करने के कारण अथवा अन्य किसी कारण से अनुपस्थिति से निवास की अवधि अपूर्ण मानी जायेगी। इन सभी स्थितियों में, अपूर्ण निवास की अवधि को पूर्ण करने से पूर्व विभागाध्यक्ष/संस्थान के साथ–साथ नियोक्ता से विशेष अध्ययन अवकाश प्राप्त करना आवश्यक होगा।

10.5 विश्वविद्यालय अलग से एक पंजिका रखेगा जिसमें विभिन्न विभागों/संस्थानों द्वारा प्रदत्त की गयी पीएच.डी. उपाधियों की सूचना होगी इसमें, अभ्यर्थी का नाम, शोध का शीर्षक, पर्यवेक्षक/पर्यवेक्षकों के नाम, पंजीकरण की तिथि, जमा करने की तिथि और परिणाम घोषित करने की तिथि का उल्लेख होगा। ये सभी सूचनायें विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध करायी जाएगी।

10.6 यदि अभ्यर्थी सम्बद्ध विषय मे प्रवेश चाह रहा है तो उसे उस विषय में अपनी प्रवेश पाने की अर्हता सुनिश्चित कर लेना चाहिए।

10.7 पूर्व में पीएच.डी. कार्यक्रम में पंजीकृत अभ्यर्थियों को पुराने अध्यादेश, जिसके अन्तर्गत उनका पंजीकरण हुआ है, के अनुसार उपाधि प्रदान की जायेगी।

11. शोध–प्रबन्ध प्रस्तुतीकरण

11.1 पाठ्यक्रम कार्य के संतोषजनक ढंग से पूर्ण होने तथा उपरोक्त धाराओं में निर्धारित अंक/ग्रेड प्राप्त करने, जो भी स्थिति हो, के पश्चात् पीएच.डी. शोधार्थी को शोध कार्य प्रारम्भ करना होगा तथा निर्धारित अवधि के अन्दर शोध–प्रबन्ध लिखित रूप में प्रस्तुत करना होगा।

11.2 शोध–प्रबन्ध प्रस्तुत करने के पूर्व शोधार्थी विभाग के समक्ष एक प्रस्तुतीकरण देगा जो सभी अध्यापकों एवं अन्य शोधार्थियों के लिए खुला होगा। उनसे प्राप्त प्रतिपुष्टि एवं सुझावों को उपयुक्तता के आधार पर शोध–प्रबन्ध में समाविष्ट किया जा सकता है।

11.3 शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत पीएच.डी. शोध–प्रबन्ध का मूल्यांकन उसके शोध–पर्यवेक्षक तथा कम से कम दो बाह्य–परीक्षकों, जो इस विश्वविद्यालय अथवा इसके सम्बद्ध महाविद्यालयों की सेवा में नहीं हैं तथा एक परीक्षक इस राज्य के बाहर का होगा, द्वारा किया जाएगा। मौखिकी परीक्षा शोध पर्यवेक्षक तथा दो में से एक बाह्य परीक्षक द्वारा सम्पन्न करायी जाएगी जो और चीजों के अलावा मूल्यांकन आख्या में दी गयी समीक्षा पर आधारित होगी। शोध–प्रबन्ध की मौखिक परीक्षा विभाग के सभी अध्यापकों, अन्य शोधार्थियों तथा दूसरे विशेषज्ञों/शोधार्थियों के लिए खुली रहेगी।

11.4 अपने शोध–प्रबन्ध के बचाव हेतु शोधार्थी की खुली मौखिक परीक्षा तभी करायी जाएगी जब बाह्य परीक्षकों की शोध–प्रबन्ध पर मूल्यांकन आख्या संतोषजनक हो तथा मौखिक परीक्षा कराने हेतु विशिष्ट रूप से संस्तुति की गयी हो। अगर किसी एक बाह्य परीक्षक की मूल्यांकन आख्या असंतोषजनक हो तथा मौखिक परीक्षा की संस्तुति नहीं की गयी हो तो, विश्वविद्यालय परीक्षकों की अनुमोदित सूची से एक दूसरे बाह्य परीक्षक को शोध–प्रबन्ध प्रेषित करेगा तथा मौखिक परीक्षा तभी आयोजित होगी जब इस अंततम परीक्षक की आख्या संतोषजनक होगी। अगर इस अंततम परीक्षक की आख्या भी असंतोषजनक हो तो शोध–प्रबन्ध अस्वीकृत कर दिया जाएगा तथा शोधार्थी को पुनःपंजीकरण कराना होगा।

11.5 विश्वविद्यालय को सुनिश्चित करना चाहिए कि पीएच.डी. शोध–प्रबन्ध की संपूर्ण मूल्यांकन प्रकिया शोध–प्रबन्ध प्रस्तुतीकरण के छः माह के अन्दर पूरी हो जाय।

11.6 विद्यार्थी के शोध अवधि की गणना पीएच.डी. पाठ्यक्रम कार्य की प्रथम शुल्क रसीद की तिथि से की जाएगी बशर्ते उसने प्रथम प्रयास में पाठ्यक्रम कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो। अन्यथा, केवल एक सेमेस्टर (छः माह) की अवधि की गणना निवास अवधि के रूप में की जाएगी अगर अभ्यर्थी ने इसे अगले प्रयास में उत्तीर्ण किया हो।

11.7 पीएच.डी. कार्यक्रम में विद्यार्थी के पंजीकरण की निरंतरता उसकी संतोषजनक प्रगति तथा अच्छे व्यवहार पर निर्भर करेगी। पर्यवेक्षक/विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष की संस्तुति पर विश्वविद्यालय को विद्यार्थी के पंजीकरण को निरस्त करने का अधिकार है अगर उसका व्यवहार तथा प्रगति असंतोषजनक है अथवा उसने तथ्यों को छुपाया है, आदि।

11.8 शोधार्थी छःमाही प्रगति आख्या, जो विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष (महाविद्यालय की स्थिति में प्राचार्य) द्वारा विधिवत अग्रसारित हो, शोध प्रभाग में जमा करेगा। छःमाही प्रगति आख्या विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष (महाविद्यालय की स्थिति में प्राचार्य) द्वारा संकाय परिषद् को प्रस्तुत की जाएगी जिसकी एक प्रति शोधार्थी को दी जाएगी।

11.9 पीएच.डी. उपाधि के लिए पंजीकृत विद्यार्थी को अनुमोदित विभाग/विश्वविद्यालय के संस्थान/पर्यवेक्षक के अधीन संस्थान तथा अनुमोदित शीर्षक पर लगातार कम से कम तीन वर्ष तथा अधिकतम छः वर्षों, जिसमें पाठ्यक्रम कार्य की एक सेमेस्टर (छःमाह) की अवधि सम्मिलित है, तक अपना शोध कार्य करना होगा। इसे शोधार्थी की निवास अवधि कहा जाएगा। किसी भी अभ्यर्थी को सतत् निवास अवधि से छूट नहीं दी जाएगी।

11.10 महिला अभ्यर्थियों तथा अक्षमतायुक्त व्यक्तियों (40% से अधिक अक्षमता) को पीएच.डी. के लिए अधिकतम अवधि में दो वर्षों की छूट दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त पीएच.डी. की पूरी

अवधि में महिला अभ्यर्थियों को निवास अवधि में 240 दिन तक का मातृत्व/शिशु देख–भाल अवकाश दिया जा सकता है।

11.11 यह कि पर्यवेक्षक, विभागाध्यक्ष/संस्थान के निदेशक तथा संकायाध्यक्ष की संस्तुति पर कुलपति किसी अभ्यर्थी को अपने शोध–प्रबन्ध की सामग्री के संकलन अथवा प्रायोगिक कार्य के उद्देश्य से अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए बाहर रहने की अनुमति दे सकता है परन्तु यह छूट पीएच.डी. की रूपरेखा के अनुमोदन के पश्चात् के पहले छः माह में नहीं दी जाएगी।

11.12 पर्यवेक्षक तथा विभागाध्यक्ष/संस्थान के निदेशक की संस्तुति पर किसी अभ्यर्थी को अपने शोध के शीर्षक में छोटे संशोधन की अनुमति संकायाध्यक्ष द्वारा दी जा सकती है परन्तु यह छूट शोध–प्रबन्ध जमा करने से छः माह या उसके पहले ही मिलेगी। बड़े संशोधन/शीर्षक के परिवर्तन की स्थिति में अभ्यर्थी को नया माना जाएगा तथा 36 माह से पहले शोध–प्रबन्ध प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

11.13 अगर कोई अभ्यर्थी पंजीकरण की तिथि से छः वर्षों (पाठ्यक्रम कार्य की अवधि को समाहित करके) के अन्दर अपना शोध–प्रबन्ध प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो वह विश्वविद्यालय का नियमित विद्यार्थी नहीं रह जाएगा तथा नियमित विद्यार्थी के अधिकारों तथा मिलने वाली सुविधाओं का हकदार नहीं होगा। यह कि ऐसे अभ्यर्थी को विशेष परिस्थिति में पर्यवेक्षक, विभागाध्यक्ष एवं सम्बन्धित संकायाध्यक्ष की सामूहिक संस्तुति पर अधिकतम आठ वर्षों की अवधि में शोध–प्रबन्ध जमा करने की अनुमति कुलपति द्वारा दी जाएगी जिसमें विद्यार्थी के रूप में छः वर्षों की अवधि समाहित है।

11.14 छः वर्षों की अवधि की समाप्ति के पश्चात् शोध–प्रबन्ध जमा करने वाले अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अतिरिक्त शुल्क देना होगा।

11.15 आठ वर्षों की अवधि में शोध–प्रबन्ध जमा नहीं करने वाले अभ्यर्थी का पुनः पंजीकरण स्वतः निरस्त माना जाएगा। यद्यपि कि कोई विद्यार्थी अपना शोध जारी रखना चाहता है तो उसे पुनः पंजीकरण हेतु पर्यवेक्षक/विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष के माध्यम से कुलपति को आवेदन करना होगा। इस तरह के सभी मामलों में अभ्यर्थी को 08 वर्ष की समाप्ति के पहले वाले 06 महीने में आवेदन करना होगा। पुनः पंजीकरण के एक वर्ष के अन्दर शोध–प्रबन्ध अवश्य जमा होना चाहिए। इसके पश्चात् शोध–प्रबन्ध जमा करने के लिए किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थी को समयावधि में विस्तार नहीं दिया जाएगा।

11.16 शोध विद्यार्थी मूल्यांकन के लिए शोध–प्रबन्ध जमा करने से पहले सन्दर्भित शोध पत्रिका अथवा सम्बन्धित विभाग/संस्थान द्वारा अनुमोदित शोध पत्रिका में प्रकाशित करेगा और न्यूनतम दो शोध पत्र गोष्ठी/सम्मेलन में प्रस्तुत करेगा तथा इनके प्रमाण–स्वरूप स्वीकृति पत्र/पुनर्मुद्रण तथा पत्र–प्रस्तुतीकरण प्रमाण–पत्र, जो भी प्रकरण हो, प्रस्तुत करेगा।

11.17 मास्टर ऑफ फिलॉसफी (एम.फिल.) उपाधि के लिए पहले से प्रस्तुत शोध–प्रबन्ध फिर से डॉक्टर ऑफ़ फिलॉसफी के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा। यद्यपि, इसका कुछ अंश पीएच.डी. शोध–प्रबन्ध के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। शोध–प्रबन्ध का सम्बन्धित अध्ययन विषय में पर्याप्त योगदान होना चाहिए जो नये तथ्यों की खोज अथवा तथ्यों या सिद्धान्तों की नवीन व्याख्या द्वारा प्रदर्शित होनी चाहिए तथा शोध विद्यार्थी एवं पर्यवेक्षक द्वारा अलग–अलग प्रमाणित होना चाहिए।

6/12/17

11.18 जब शोध–प्रबन्ध प्रस्तुतीकरण के लिए तैयार हो तो प्रस्तुतीकरण की संभावित तिथि के एक माह पूर्व विद्यार्थी पर्यवेक्षक के माध्यम से विभागाध्यक्ष/संस्थान के निदेशक को शोध की रूपरेखा में निहित शोध कार्य के पूर्ण होने की सूचना देगा।

विभागाध्यक्ष/संस्थान का निदेशक आवेदन पत्र को विभाग संस्थान के विषय पाठ्य समिति के सम्मुख प्रस्तुत करेगा जो न्यूनतम छः बाह्य परीक्षकों, जो कम से कम सह आचार्य स्तर के हों, की सूची प्रत्येक के ई–मेल पता, डाक पता, फैक्स एवं सम्पर्क नम्बर के साथ एवं एक परीक्षक के रूप में पर्यवेक्षक के नाम की संस्तुति करेगा। इस कार्य के लिए पर्यवेक्षक को विषय पाठ्य समिति के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जाएगा। इस सूची से तीन विशेषज्ञ, जिनमें पर्यवेक्षक भी सम्मिलित होगा, नियत प्रकिया के अनुरूप कुलपति द्वारा शोध–प्रबन्ध के मूल्यांकन के लिये नियुक्त किये जायेंगे। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रस्तावित सूची जो विषय पाठ्य समिति द्वारा संस्तुत है, से न्यूनतम तीन परीक्षक (छः परीक्षकों में से) दो अलग–अलग राज्यों से हों। पर्यवेक्षक अगर विषय पाठ्य समिति का सदस्य नहीं है तो उसे विषय पाठ्य समिति के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जा सकता है।

यह सुनिश्चत करने के लिए कि विश्वविद्यालयों के सन्दर्भ में परीक्षकों की सूची प्रातिनिधिक है तथा एक विश्वविद्यालय/संस्था से एक से अधिक परीक्षक का चयन न हो इसे सुनिश्चत करने के लिए यथासम्भव प्रयास किया जाना चाहिए। कुलपति सूची से दो परीक्षकों का चयन करेगा जिन्हें दो अलग–अलग राज्यों से होना चाहिए।

11.19 शोध–प्रबन्ध में मौलिक कार्य का समावेश होना चाहिए, शोध प्रकाशन के रूप में प्रकाशित होने के अलावा उसे पहले से प्रकाशित या जमा नहीं होना चाहिए। प्रकाशित सामग्री को शोध–प्रबन्ध के भाग के रूप में उसके स्रोत का उल्लेख करते हुए समाविष्ट किया जा सकता है।

11.20 प्रत्येक शोध–प्रबन्ध में अभिव्यक्ति का माध्यम या तो अंग्रेजी या हिन्दी (देवनागरी लिपि में लिखी) होगी सिवाय उन विषयों के जो किसी प्राच्य भाषा से सम्बन्धित हैं जहाँ शोध–प्रबन्ध उस भाषा में प्रस्तुत किया जा सकता है।

11.21 शोध–प्रबन्ध के साथ पर्यवेक्षक का प्रमाण पत्र होगा जिसमें उल्लेख होगा कि:

अ– शोध–प्रबन्ध में अभ्यर्थी का स्वयं का कार्य निहित है।

ब– अभ्यर्थी ने उसे पर्यवेक्षण/निर्देशन में अपेक्षित अवधि तक कार्य किया है।

स– निर्धारित अवधि के दौरान उसने विभाग में अपेक्षित उपस्थिति दी है।

12. मूल्यांकन एवं निर्धारण विधियाँ

12.1 निर्धारित शुल्क के साथ प्रमाण पत्रों (अन्दर लगे हुए) सहित शोध–प्रबन्ध की प्राप्ति पर, चुने हुए परीक्षकों से ई–मेल/डाक द्वारा उनकी सहमति की प्राप्ति के पश्चात्, उसे सामान्यतः दो सप्ताह के अन्दर प्रेषित कर दिया जाएगा। किसी भी स्थिति में, सभी प्रकिया के लिए परीक्षा समय तीन माह से अधिक नहीं होगा। अगर प्रस्तावित परीक्षकों से स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में कुलपति द्वारा नये परीक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।

12.2.1 अगर परीक्षक मानते है कि शोध–प्रबन्ध पर्याप्त रूप से अच्छा है तो वे शोध–प्रबन्ध को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि प्रदान करने की स्वीकृति हेतु संस्तुति कर सकते है।

12.2.2 अगर परीक्षकों की आख्या में मत भिन्नता प्रतीत होती है तो कुलपति उनके बीच आख्या विनिमय का निर्देश दे सकते हैं जिसमें परीक्षकों से अनुरोध किया जाय कि अगर संभव हो तो एक संयुक्त आख्या प्रस्तुत करें।

12.2.3 अगर आख्या विनिमय के पश्चात् भी परीक्षकों की आख्या में मत भिन्नता होती है तो पहले से अनुमोदित परीक्षकों की सूची में से एक चौथे परीक्षक की नियुक्ति की जाएगी जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

यह कि यदि दो परीक्षक या तो मूल रूप से अथवा आख्या विनिमय के पश्चात् शोध–प्रबन्ध के संशोधन की संस्तुति करते हैं तो शोध–प्रबन्ध को संशोधित करके पुनः प्रस्तुत करना होगा। संशोधित शोध–प्रबन्ध को सामान्यतः उन्हीं परीक्षकों से, दुबारा उनकी सहमति लेकर, मूल्यांकित कराया जाएगा। यह कि ऐसी स्थिति में दो परीक्षक या तो मूल रूप से अथवा आख्या विनिमय के पश्चात् शोध–प्रबन्ध को अस्वीकृत करते हैं तो शोध–प्रबन्ध अन्तिम रूप से अस्वीकृत कर दिया जाएगा तथा अभ्यर्थी पुनः पंजीकरण करा सकता है।

12.2.4 अगर समिति संतुष्ट है कि परीक्षकों के प्रतिवेदन एक मत वाले तथा निश्चित हैं तो अभ्यर्थी को एक मौखिक परीक्षा देनी होगी जो दो परीक्षकों द्वारा सम्पन्न करायी जाएगी जिनमें से एक सामान्यतः पर्यवेक्षक तथा दूसरा उन बाह्य परीक्षकों में से होगा जिन्होंने शोध–प्रबन्ध का मूल्यांकन किया है।

12.2.5 विभागाध्यक्ष/विषय पाठ्य समिति का संयोजक अध्यक्षता करेगा तथा मौखिकी परीक्षा की कार्यवाही का संचालन करेगा परन्तु वह निर्णय का भाग नहीं होगा।

12.2.6 अगर पर्यवेक्षक उपलब्ध नहीं है तो विभागाध्यक्ष स्वयं अथवा विभाग/संस्थान का कोई वरिष्ठ अध्यापक, जो विषय पाठ्य समिति द्वारा अनुमोदित हो, आन्तरिक परीक्षक के रूप में कार्य कर सकता है।

12.2.7 अभ्यर्थी की मौखिकी परीक्षा सामान्यतः विश्वविद्यालय में सम्बन्धित विभाग/संस्थान में होगी तथा विषय में रूचि रखने वाले सभी के लिए खुली रहेगी जहाँ अभ्यर्थी को अपने शोध–प्रबन्ध के मुख्य परिणामों को प्रस्तुत करना एवं उनका बचाव करना होगा। संतोषजनक मौखिक परीक्षा के पश्चात् समिति अथवा उप–समिति, जो भी स्थिति हो, संस्तुत कर सकती है कि अभ्यर्थी का परीक्षाफल घोषित कर दिया जाय तथा तदनुसार परिणाम घोषित किया जाएगा।

12.3 यह विश्वविद्यालय का उत्तरदायित्व होगा कि पीएच.डी. मूल्यांकन कार्य तथा मौखिक परीक्षा शोध–प्रबन्ध प्रस्तुतीकरण के एक वर्ष के अन्दर पूरी कर ली जाय अगर सभी परीक्षकों की आख्याएँ संतोषप्रद हों।

12.4 प्रत्येक स्वीकृत शोध–प्रबन्ध की एक कागजी प्रति तथा सी.डी./डी.वी.डी. पर इलैक्ट्रॉनिक प्रति विश्वविद्यालय के पुस्तकालय अथवा जिस केन्द्र पर अभ्यर्थी ने शोध कार्य किया हो वहाँ पर जमा की जाएगी जहाँ यह सामान्य जन के अवलोकनार्थ होगी।

13. **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ अमानतदारी**

13.1 मूल्यांकन प्रक्रिया के सफलतापूर्वक पूरा होने तथा पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने के बाद तीस दिनों की अवधि के अन्दर विश्वविद्यालय शोध–प्रबन्ध की एक इलैक्ट्रॉनिक प्रति उसे इनफलेबनेट (INFLIBNET) पर उपलब्ध कराने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को जमा करेगा जहाँ सभी संस्थाओं/विश्वविद्यालयों की पहुँच होगी।

13.2 विश्वविद्यालय पीएच.डी. शोध–प्रबन्ध की अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रति सामान्य जन के अवलोकनार्थ अपने वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगा।

13.3 विश्वविद्यालय उपाधि के साथ इस आशय का अन्तरिम प्रमाण पत्र जारी करेगा कि उपाधि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमन–2016 (पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) के प्रावधानों के अनुरूपता में निर्गत की गयी है।

14. **सामान्य**

इस अध्यादेश की व्याख्या से सम्बन्धित कोई भी विषय कुलपति को भेजा जाएगा जिनका निर्णय, विद्या परिषद् के अध्यक्ष की क्षमता में, अन्तिम तथा सभी पर बाध्यकारी होगा। वर्तमान अध्यादेश से सम्बन्धित किसी विशिष्ट प्रकरण के उत्पन्न होने पर उसके समाधान हेतु कुलपति आवश्यक समितियों का गठन कर सकते हैं।

Education

PHD-237

PAPER-I

Research Methodology, Quantitative Techniques and Computer Applications in Research

Objectives –

1. To familiarize the students with the nature of research in general and educational research in particular.
2. To train the students to design and conduct a scientific inquiry.
3. To train students to use Web tools for conduct of Research
4. To enable the students to prepare research proposal
5. To enable the students to analyze the data quantitatively and qualitatively and draw valid conclusions.
6. To train the students to write the research report.
7. To enable the students to contribute research papers for educational journals, conferences and seminars.
8. To train students to evaluate Educational Research.

UNIT:1 Introduction to Educational Research

1.1 Nature, Meaning, Characteristics of Research and Educational Research
1.2 Need or Significance or Educational Research
1.3 Purpose of Research: Basic or Fundamental, Applied and Action Research
1.4 Quantitative Research Methods
1.5 Qualitative research – concept and types.

UNIT: 2 – The Research Problem and Preparation of the Research Proposal :

2.1 Selection of the Problem
2.2 Use of reference material source, library survey and internet surfing
2.3 Variables – Dependent, Independent, Intervening, Control
2.4 Delineating and Operationalizing variables
2.5 Writing Objectives
2.6 Framing Hypothesis – Directional and Non Directional Hypothesis
2.7 Steps in Preparation of Research Proposal.

UNIT: - 3 Tools and Techniques for Data Collection

3.1 Sampling: Concept of Population and Sample, Characteristics of a Good Sample, Non Probability Sampling, Probability Sampling, Methods of Sampling: Random, Stratified, Purposive, Cluster and Quota Sampling, Sampling Errors and how to reduce them

3.2 Tools of Educational Research

3.2.1 Concept, types, forms, preparation (Construction), characteristics, validity, reliability, advantages and limitations of following tools: Questionnaire, opinionative, Interview, Observation, Rating scale, Attitude scale, Check-list

3.2.2 Standardized tests: Types and characteristics, Criteria for selecting a standardized test,

Unit- 4 Quantitative Method

4.1 Use of quantitative method in research

4.2 Types and sources of data

4.3 Parametric Techniques – Correlation (product moment, partial, multiple) and regression, t-test, F test (one way & two way ANOVA), ANCOVA

4.4 Non Parametric Techniques – chi square & Mann Whitney U test.

Unit- 5 Computer Application for Research (15 hrs)

5.1 Word processing

5.2 Data processing

5.3 Graphical processing

5.4 Use of web-2 tools for research

5.5 Use of excel

5.6 Use of SPSS

5.7 Use of graphical software

5.8 Use of multimedia tools

UNIT: -6 The Writing of Research Report and Its Evaluation:

6.1 General and Essential Considerations Format of Thesis/Dissertation, Quotations, Footnotes, references, Bibliography, Table and illustrations, Style and Typing,

6.2 Probable errors aroused while report writing

6.3 Criteria for evaluating research report

Practicum:

A) Presentation of Library based assignments

1. Identification of research problem
2. Writing references and bibliography
3 Writing abstract/summary/ Review Articles
4. Review of related literature
5 preparation and presentation of research synopsis.

B) Assignments based on computer uses in Research

1. Use of excel and Use of SPSS
2. Presentation of data through graphical software

Readings Material:

Best, J. W. and James V. Kahn(1986) *Research in Education.* New Delhi : Prentice Hall of India

Coburn, Peter at. al. (1982) .*Practical guide to computers in Education.* California :Wesley Publishing Co.

Engalh art, Max D. (1972) *Methods of Educational Research* Chicago : Rand McNally and Company

Entuistle, N. J. (1974) *The Nature of Educational Research, Educational Studies A third level course, Methods of Educational enquiry- Block I.* , Milton Kenya: The Open University Press

Kothari, C. R.( )*Research Methodology – methods and techniques.* New Delhi :Wiley Eastern Ltd

Edward, A.L. (1969), Technique of Attitude Scale Contruction, Bombay : Vakils Fetter, and Simons.

8. Good, C.V.(1972), Essential of Educational Research Methodology and Design, New York; Appleton Lentary crafts.

9. Guilford, J.P. (1982), Psychometric Methods, New Delhi, Tata McGraw Hill.

Black Thomas (2001) Understanding Social science Research, New Delhi : Sage Publications

Fern. Edward F. (2001) Advanced Focus Group Research, New Delhi : Sage Publications

Galtung, Johan(1967) *Theory and Methods of social research.* London: George Allen and Unwin Ltd.

Mariampolski, H. (2001) Qualitative Market Research – A Comprehensive Guide, New Delhi: Sage Publications India

Mason, Emanuel J. and William J. Bramble. (1978) *Understanding and Conducting research.. Applications in Education and Behavioral Sciences.* New York: McGraw Hill Book Co.

Mouly, George, J. (1964) *The Science of Educational Research* Ne

Mitzel (Ed.) (1982) *Encyclopedia of Educational Research* Free Press

PHD-238

PAPERI- II
Emerging Trends and Advances in Education

Objectives:

To enable the student to -

1. To enable the student to be aware of the recent trends and advances in the field of Educations.
2. To enable the student to apply the knowledge of recent trends for teaching, research and administration.
3. To enable students to evaluate Educational Planning in India.
4. To enable the research student to apply the electronic media in teaching and learning .
6. To train students to use Web tools for conduct of Research

7. To enable the students to contribute research papers for educational journals, conferences and seminars.

Unit-I: Higher education in the context of liberalization, privatization and Globalization

Unit-2: Recent developments and planning in the field of education in India:

A: Sarva Shiksha Abhiyan (SSA)
B: Rashtriya Madhyamic Shiksha Abhiyan(RMSA)
C: Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA)

Unit-3: Future perspectives in Teacher Education

Unit-4: Changing roles and responsibilities of teachers:

4.1 Modern concept of teacher competence and innovative techniques of teacher behaviour modification

4.2 State and Central agencies working for Quality assurance in teacher education: UGC, NCTE, NCERT, SCERTs

4.3 Status of researches and Research priorities in the area of teacher competence and teacher behaviour

4.4 Professionalism in Teacher Education.

Unit-5: ICT in Teaching Learning and Training:

5.1 Use and significance of ICT in face to face teaching- learning conditions and open Learning system.

5.2 Use of Wikipedia, wiki educator and other web-based technologies for online learning and training.

5.3 e- Learners and e-educator interaction using web tools e-mail, chat, conferencing discussion forum ,

5.4 Development and use of Power point presentation .

PRACTICUM:

1. Participation in Group discussion and group work
2. Preparation of Power point presentation on any topic of education
3. Preparation of a Seminar paper and presentation through power point.
4. Determining research priorities on any one unit of the syllabus.

Readings Material:

- Brennan W. K. (1982) *Changing Special Education.* Milton :The Open University Press
- Dunkin. M. J. (Editor) (1987)*The International Encyclopedia of Teaching and Teacher Education.New York:* Pergman Press
- Choudhary, Namita (2002). *Management in Education.* New Delhi : APH Publishing Corporation.
- Kour, B. N. Bakshish Singh and M. M. Ansari (1988) *Studies in Distance Education.* New Delhi : Association of Indian Universities and Indira Gandhi National Open University
- Rai, Amar Nath (2000) *Distance Education: Open Learning Vs Virtual University Concepts.*New Delhi : Authors Press.
- Thomas R. M ,Kobayashi V. N. (1987) *Educational Technology* New York : Pergman Press
- Torstein, H.T. (Ed-in-Chief)(1985) *The International Encyclopedia of Education* Vol. 19 T.Neville Post Letwarte: Pergman Press
- Wittrock M. (1986) *Handbook of Research on Teaching.* New York : Macmillan and Co.
- Mukhopadyaya M. (1989). *Year Book : Educational Technology.*New Delhi : AIAET..
- Dharma, O.P .and Bhatnagar O.O *Educational and Communication for Development* New Delhi : Oxford and IBG
- Khanna S.D et.al (1984) *Technology of Teaching and Teacher Behavior* New Delhli : Doaba House

- Beck, Clive & Clark Kosnik Albany (2006) *Innovations in Teacher Education: A social Constructivist approach* .New York: State University

- Linda Darling. Harmmond & John Bransford (2005)*Preparing Teachers for a changing World.*John Wiley & Son Francisco.
- Mohammad Miyan (2004) *Professionalisation of Teacher Education.* New Delhi: Mittal Publications
- NCTE (1998) *Policy perspectives in Teacher Education.* New Delhi.
- NCTE (1998). *Competency Based and Commitment Oriented Teacher Education for Quality School education.* New Delhi.
- NCTE (1998)*Policy perspective in Teacher Education- Critique and Documentation* New Delhi
- Ram, S.(1999*) Current Issues in Teacher Education.* New Delhi: Sarup & Sons Publication
- Rao, Digumarti Bhaskara (1998). *Teacher Education in India.* New Delhi:. Discovery Publishing
- *Report of the Education Commission (1964-66)*
- *Report of the National Commission on Teachers (1983-85)*
- *National Curriculum Framework for Teacher education, 2009*
- *Report of the Delors Commission, UNESCO, 1996. National Policy of Education 1986/1992*
- *National Curriculum Framework on school education, 2005.*